

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, रायगढ़ (छ.ग.)

जिला पंचायत परिसर के पीछे रायगढ़

फैक्स नं./फोन.नं. :- 07762-222718

ई मेल :- deo123.raigarh@gmail.com

// संविदा भर्ती //

क्रमांक / 3178 / SAGES / 2023-24

रायगढ़ दिनांक 08/05/2023

जिला रायगढ़ अंतर्गत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम योजनांतर्गत संचालित विद्यालयों में शिक्षकीय रिक्त पदों पर संविदा से भर्ती की जानी है जिसके लिये दिनांक 24.05.2023 दिन बुधवार को शासकीय नटवर इंग्लिश स्कूल, रायगढ़ में प्रातः 11:00 बजे से 3:00 बजे तक 'वॉक इन इंटरव्यू' के माध्यम से साक्षात्कार लिया जाएगा। संस्थावार रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

संविदा भर्ती हेतु पद :-

क्र	विद्यालय का नाम	पदनाम	विषय	पद संख्या
1	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चपले	व्याख्याता	जीव विज्ञान	1 अनारक्षित
		व्याख्याता	भौतिक	1 अनारक्षित
		व्याख्याता	वाणिज्य	1 अ.ज.जा.
		सहा. शिक्षक	विज्ञान	1 अ.ज.जा.
		सहा. शिक्षक	कला	1 अ.ज.जा.
		सहा.शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला		
2	शास. नटवर इंग्लिश स्कूल रायगढ़	प्री-प्राइमरी शिक्षक		1 अ.ज.जा.
3	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कोतरा	प्री-प्राइमरी शिक्षक		1 अ.ज.जा.
4	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कोड़ातराई	व्याख्याता	सामा. विज्ञान	1 अनारक्षित
		शिक्षक	अंग्रेजी	1 अनारक्षित
		प्री-प्राइमरी शिक्षक		1 अ.ज.जा.
5	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तमनार	सहा.शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला		1 अनारक्षित
		प्री-प्राइमरी शिक्षक		1 अ.ज.जा.
6	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय लैलूंगा	शिक्षक (प्रधान पाठक)		1 अनारक्षित
		सहायक शिक्षक	विज्ञान	1 अ.ज.जा.
		प्री-प्राइमरी शिक्षक		1 अ.ज.जा.

टीप:- 1. उपरोक्त व्याख्याता पद हेतु संविदा मानदेय राशि 38100=00, शिक्षक पद हेतु 35400=00 एवं सहायक शिक्षक पद हेतु 25300=00, प्री-प्राइमरी टीचर हेतु राशि 15000=00 (मासिक एकमुश्त) देय होगा।

संविदा भर्ती हेतु शर्तें:-

- व्याख्याता पद हेतु मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नाकोत्तर की उपाधि एवं बी.एड. प्रशिक्षित अनिवार्य। आवेदक को कक्षा 8वीं, 10वीं एवं 12वीं अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन में दक्ष हो।
- व्याख्याता-सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत स्नातकोत्तर (भूगोल/इतिहास/अर्थशास्त्र/राजनीति) तथा बी.एड. की उपाधि रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। शिक्षक- सामाजिक विज्ञान हेतु स्नातक में अंकित विषयों (भूगोल/इतिहास/अर्थशास्त्र/राजनीति) में से दो विषय एवं शिक्षक विज्ञान हेतु स्नातक में अंकित विषयों (भौतिक/रसायन/जीवविज्ञान)में से दो विषय अनिवार्य रूप से होनी चाहिये एवं प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। आवेदक को 8वीं, 10वीं, एवं 12वीं, अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
- शिक्षक पद हेतु मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से संबंधित संकाय /विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि एवं बी.एड./बी.एल.एड./डी.एड./डी. एल.एड. प्रशिक्षित अनिवार्य। अंग्रेजी भाषा हेतु स्नातक स्तर पर अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में हो। आवेदक को कक्षा 8वीं, 10वीं एवं 12वीं अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। शिक्षक सामाजिक अध्ययन हेतु स्नातक स्तर पर इतिहास/राजनीति/अर्थशास्त्र /भूगोल में से किन्हीं दो विषयों का होना अनिवार्य। अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन में दक्ष हो।

4. सहायक शिक्षक पद हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबंधित संकाय (कला/वाणिज्य/ जीवविज्ञान/गणित) तथा सहा.शि.विज्ञान (प्रयोगशाला) हेतु (जीवविज्ञान/गणित) में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण एवं बी.एड./बी.एल.एड./डी.एड./डी.एल.एड. प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। आवेदक को कक्षा 8वीं, 10वीं एवं 12वीं अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन में दक्ष हो।
5. कला संकाय (व्याख्याता/शिक्षक/सहा.शि.) पद पर अंग्रेजी माध्यम से अध्ययनरत अभ्यर्थी न मिलने की स्थिति में हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण योग्यताधारी अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन में दक्ष अभ्यर्थियों पर विचार किया जा सकता है।
6. प्री-प्राइमरी टीचर हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण एवं नर्सरी टीचर ट्रेनिंग/ मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग/डी.एड./डी.एल.एड. प्रशिक्षित।
7. सभी पदों हेतु चयन अर्हताधारी पदों के अंको एवं साक्षात्कार के अंकों के आधार पर किया जावेगा। टी. ई.टी. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी।
8. उक्त रिक्त पदों में प्रतिनियुक्ति होने की स्थिति में उस विषय के रिक्त पद को विलोपित किया जाएगा। पदों की संख्या परिवर्तनीय होगी।
9. अभ्यर्थी को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
10. प्रत्येक स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की समिति पृथक-पृथक है तथा प्रत्येक के लिए पृथक-पृथक आरक्षण लागू होगा। आवेदकों को अपने आवेदन में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के किस विद्यालय हेतु आवेदन कर रहे हैं उसका उल्लेख करना होगा तथा साक्षात्कार के समय पदांकन के लिये विद्यालय की वरीयता बताना आवश्यक होगा।
11. आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर उपस्थित हों। परीक्षण हेतु मूल अंकसूची एवं प्रमाण पत्र लेकर उपस्थित होना है। दस्तावेजों का परीक्षण साक्षात्कार स्थल पर करने के उपरान्त ही साक्षात्कार में शामिल किया जाएगा।
12. संविदा नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में निहित प्रावधानों के अधीन रहेगी।
13. विज्ञापन तिथि के पूर्व अर्जित की गई शैक्षणिक एवं अन्य व्यवसायिक योग्यता ही मान्य होगी।
14. आवेदक की उम्र 01 जनवरी 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिये। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। उम्र में शासन के निर्धारित नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान होगा।
15. विज्ञापित पदों की संख्या घटाई, बढ़ाई अथवा पर्याप्त कारण से विज्ञापन निरस्त भी किया जा सकता है।
16. चयन के संबंध में चयन समिति के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
17. भविष्य में शासन द्वारा उक्त पदों पर सीधी भर्ती किए जाने पर संविदा नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

नियुक्ति अवधि :-

1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 4 (1) के अंतर्गत उल्लेखित संविदा नियुक्ति के पदों पर संविदा नियुक्ति 3 वर्ष की कालावधि के लिये की जावेगी। तथापि राज्य सरकार आवश्यकता के आधार पर तथा संविदा आधार पर नियुक्ति की उपयुक्तता का आंकलन करने के पश्चात् संविदा नियुक्ति की कालावधि बढ़ाया जा सकेगा जो कि शासन के आगामी निर्देश के अंतर्गत प्रतिबंधित होगा।
2. संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा तीन माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में तीन माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी

निरहताएँ:-

1. अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्तकर्ता द्वारा चयन के लिये निरहित माना जा सकेगा।
2. कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में जो कि विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप में स्वस्थ तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो कि सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये। परन्तु अपवादिक मामलों में अभ्यर्थी का उसकी स्वास्थ्य परीक्षा से पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि व चिकित्सकीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

3. कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध या अन्य अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा। परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जाएगा, जब तक उस अपराधिक प्रकरण का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाये।


अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्तकर्ता का निर्णय संबंधी :-

1. चयन के लिये अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में नियुक्तकर्ता का विनिश्चय अंतिम होगा।
2. चयन प्रक्रिया के किसी भी समय पर अथवा नियुक्तकर्ता को चयन सूची भेजने के बाद भी यदि नियुक्तकर्ता के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन /नियुक्ति नियुक्तकर्ता द्वारा बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

अन्य निर्देश :-

1. नियुक्त उम्मीदवार को उनके पद के अनुसार शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार वेतन एवं भत्ते देय होंगे।
2. नियमानुसार संविदा भर्ती के उप नियम (2) के अंतर्गत उल्लेखित मामलों को छोड़कर संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जाएगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
3. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी।
4. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी रायगढ़ जिले के वेबसाइट www.raigarh.gov.in पर अवलोकन की जा सकती है।


(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


जिला शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य सचिव
स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश
मिडियम विद्यालय समिति
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/3179 /SAGES/2023-24
प्रतिलिपि-

रायगढ़ दिनांक 08/05/2023

1. प्रमुख सचिव महोदय, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटलनगर नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त महोदय, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन खण्ड-03 प्रथम तल अटलनगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर महोदय रायगढ़ जिला रायगढ़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
6. सर्व संबंधित सदस्य, स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मिडियम स्कूल समिति जिला रायगढ़ को सूचनार्थ।
7. सहायक संचालक जिला जनसंपर्क कार्यालय रायगढ़ को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
8. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, NIC जिला रायगढ़ को सूचनार्थ एवं उक्त विज्ञापन विस्तृत विवरण सहित रायगढ़ जिले के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
9. सर्व विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जिला रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


जिला शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य सचिव
स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश
मिडियम विद्यालय समिति
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

12. Domicile of Chhattisgarh ; - Yes/No
13. Valid Employment Registration no. ; - _____
- 14 Valid Employment Registration Date ; - _____
- Self attested Photocopy attached ; - _____
15. List of attached documents (Photo copies) ; - _____

Note;- Self attested photo copies of all educational certificats, caste certificates, domicile certificate ,Live employment registration certificate,DOB certificates (High school certificates) and other relevant certificates should be attached along with this application.

Total no. of certificates in page along with this application form;-

Self-Declaration

I _____ Son/Daughter of Shri _____ age _____ year, resident of _____ in the District _____ Chhattisgarh, do hereby declare that the information given above and in the enclosed documents is true to the best knowledge and belife and nothing has been concealed therein, i am well aware of the fact that if the information given by me proved false/not true at any point of time, i will have to face punishment as per any provision of law for the time being in force as well as the benefit accrued to me or my candidature shall be summarily cancelled.

Date ; _____

Plsce ; _____

Signature of Applicant

(Applicant Full Name)

